निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 149/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडौदा शाखा दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) ऋण खाता अ–मैसर्स कबीर हैण्डमेड पेपर इण्डिस्ट्रीज प्रो॰ श्री शंकर लाल सेनी पुत्र श्री नानगराम सैनी (ऋणी)

(अ) निवास–जैन नसिया का रास्ता, बावरी का बास, सांगानेर जयपुर ।

(ब) दुकान नं॰ बी एस–5, बेसमेन्ट फ्लोर, ए सी मार्केट, राजा पार्क, जयपुर ।

(2) ऋण खाता मैसर्स पारख सेल्स कार्पोरेशन प्रो॰ श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री लालूराम सैनी (ऋणी)

(अ) निवास–जैन नसिया का रास्ता, बावरी का बास, सांगानेर जयपुर ।

(ब) दुकान नं॰ बी एस–5, बेसमेन्ट फ्लोर, ए सी मार्केट, राजा पार्क, जयपुर ।

(श्री शंकर लाल सैनी पुत्र श्री नानगराम सैनी (गारन्टर)

(अ) निवास–जैन नसिया का रास्ता, बावरी का बास, सांगानेर जयपुर ।

(ब) दुकान नं॰ बी एस–5, बेसमेन्ट फ्लोर, ए सी मार्केट, राजा पार्क, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री संजय सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांकः 25.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.05.2012 एवं 10.05.2012 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी शंकर लाल सैनी पुत्र श्री नानगरराम सैनी की दुकान नं॰ बी.एस–5, बेसमेन्ट फ्लोर ए सी मार्केट राजापार्क जयपुर पर स्थित सम्पत्ति क्षेत्रफल 19.53 वर्गमीटर एवं हाईपोथीकेशन ऑफ बारोवर स्टॉक प्रेज़न्ट एण्ड फ्यूचर, आल स्टॉक ऑफ पोलीमीटर आईटम्स इत्यादि, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनीश गुड, फिनिश गुड, आल दी प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर बुक डेब्ट्स आउट स्टैण्डिग रिसीवेबल सिक्रेटी एण्ड प्लाट एण्ड मशीनरी स्पेयर पार्ट, टूल्स एसेसिरिज एण्ड अदर मुवेबल फर्निचर फर्किचर एण्ड फिटिंग्स इत्यादि हाईपेथीकेशन

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

एग्रीमेन्ट दिनांकित 09.05.2012 (मैसर्स श्री कबीर एण्डमेड) एवं 10.05.2012 (मैसर्स परख सेल्स कार्पोरेशन) में परिभाषित को बन्धक व हाईपोथीकेटेड कर राशि ऋण खाता (अ)–में 8,00,000/–रूपये एवं ऋण खाता (ब) में 7,00,000/–इस प्रकार कुल 15,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 15,61,674/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी शंकर लाल सैनी पुत्र श्री नानगरराम सैनी की दुकान नं॰ बी.एस–5, बेसमेन्ट फ्लोर ए सी मार्केट राजापार्क जयपुर पर स्थित सम्पत्ति क्षेत्रफल 19.53 वर्गमीटर एवं हाईपोथीकेशन ऑफ बारोवर स्टॉक प्रेजन्ट एण्ड फ्यूचर, आल स्टॉक ऑफ पोलीमीटर आईटम्स इत्यादि, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनीश गुड, फिनिश गुड, आल दी प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर बुक डेब्ट्स आउट स्टैण्डिग रिसीवेबल सिक्रेटी एण्ड प्लाट एण्ड मशीनरी स्पेयर पार्ट, टूल्स एसेसिरिज एण्ड अदर मुवेबल फर्निचर फर्किचर एण्ड फिटिंग्स इत्यादि हाईपेंथीकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 09.05.2012 (मैसर्स श्री कबीर एण्डमेड) एवं 10.05.2012 (मैसर्स परख सेल्स कार्पोरेशन) में परिभाषित सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 25.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट ... जिला जयपुर (राज.)